

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

- District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB HISAR **Year (वर्ष):** 2019

FIR No. (प्र.सू. सं.): 0005 **Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय):** 04/02/2019 14:30 hrs
- | S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | IPC 1860 | 120-B |
| 2 | IPC 1860 | 197 |
| 3 | IPC 1860 | 198 |
| 4 | IPC 1860 | 420 |
| 5 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(2) |
| 6 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)d |
- (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Wednesday **Date from (दिनांक से):** 14/03/2001 **Date To (दिनांक तक):** 14/03/2001

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 09:00 hrs **Time To (समय तक):** 17:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/02/2019 **Time (समय):** 13:10 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 007 **Date and Time (दिनांक और समय):** 04/02/2019 13:43 hrs
- Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written
- Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 5 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** Hisar,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):
- Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** कर्ण सिंह

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** हरफुल सिंह

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1981 (d) **Nationality (राष्ट्रियता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	शेरपुरा, सिवानीBHIWANI, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	शेरपुरा, सिवानीBHIWANI, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुरेन्द्र JBT अध्यापक		Father's Name: अमर सिंह	1. शेरपुरा, सिवानीBHIWANI, HARYANA, INDIA
2	डा. जोगिन्द्र कपूर हड्डी रोग विशेषज्ञ			1. सामान्य हस्पताल हिसार, HISSAR, HARYANA, INDIA
3	डा. सुरेश कुमार एम.ओ. मनोरोग विशेषज्ञ			1. सामान्य हस्पताल हिसार, HISSAR, HARYANA, INDIA
4	डा. आर. के. बंसल सी.एम.ओ हिसार			1. सामान्य हस्पताल हिसार, HISSAR, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, जांच क्रमांक 02 दिनांक 16.03.2016 भिवानी महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के कार्यालय पृष्ठ क्रमांक 32 /60-61 /आई-3 / राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) दिनांक 18.03.2013 के अनुसार रजिस्टर होकर पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) हिसार मण्डल हिसार पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। यह जांच कर्ण सिंह पुत्र श्री हरफूल सिंह गांव शेरपुरा तहसील सिवानी जिला भिवानी की शिकायत के आधार पर दर्ज हुई थी। जिसमें आरोप था कि सुरेन्द्र कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी गांव शेरपुरा जिला भिवानी फर्जी अपगतां सर्टीफिकेट व फर्जी D.Ed के आधार पर JBT Teacher नियुक्ति प्राप्त की हुई है। इन आरोपों की पडताल सर्व प्रथम निरीक्षक महेन्द्र सिंह, राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार द्वारा अमल में लाई गई तथा उसके बाद में जांच पडताल श्री शरीफ सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार मण्डल हिसार द्वारा अमल में लाई गई है। जांच पडताल से पाया गया है कि प्रतिवादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अमर सिंह मूल रूप से गांव शेरपुरा जिला भिवानी का मूल निवासी है जिसने वर्ष 2001 में जिला सामान्य हस्पताल हिसार से अपने बाएं पैर की अपगतां बारे डाक्टर करवाई थी। जो तत्कालीन मैडिकल बोर्ड, सामान्य हस्पताल, हिसार द्वारा की गई थी। जिसमें डाक्टर जोगिन्द्र कपूर हड्डी रोग विशेषज्ञ, डां सुरेश कुमार एम0ओ0 मनोरोग विशेषज्ञ व डा0 आर0के0 बंसल, सी0एम0ओ0 सामान्य हस्पताल हिसार शामिल थे। उपरोक्त मैडिकल बोर्ड द्वारा आरोपी सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अमर सिंह का विकलांगता बारे डाक्टर परीक्षण करके 70 प्रतिशत बाएं पैर की विकलांगता का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन क्रमांक 4422 दिनांक 14.03.2001 से जारी किया था। पडताल पर यह बात सामने आई है कि सुरेन्द्र कुमार की दो बुआ गांव चिडोद जिला हिसार में शादीशुदा हैं तथा प्रतिवादी ने गांव चिडोद जिला हिसार का पता देकर अपना डाक्टर अपगतां प्रमाण पत्र बनवाया जबकि कार्यालय महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला के पत्र पृ0 क्रमांक 2163-83 दिनांक 17.03.2009 में दर्शाये गये। पत्र यदि क्र0 14/8-2 पी0एम0 99/328-37 दिनांक 27.04.1999 की हिदायत के अनुसार कोई भी विकलांग व्यक्ति अपने गृह जिले से ही अपना प्रमाण पत्र बनवा सकता है पडताल के दौरान यह बात सामने आई है कि सुरेन्द्र कुमार द्वारा प्रमाण पत्र बनवाने बाबत निवास स्थान गांव चिडोद जिला हिसार से सम्बन्धित कोई दस्तावेज साथ नहीं लगाया क्योंकि सुरेन्द्र कुमार का गांव चिडोद जिला हिसार में न तो कोई राशन कार्ड है और ना ही वोटर कार्ड है। इस प्रकार विकलांगता का प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता सही नहीं है। दूसरे आरोप की पडताल के दौरान पाया गया है कि सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अमर सिंह ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल से पत्राचार के माध्यम से दो वर्षों डी0एड0 का डिप्लोमा किया था। उक्त डिप्लोमा प्रथम वर्ष 2005 व द्वितीय वर्ष 2006 में पास किया था। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल के नियमपानुसार उपरोक्त डिप्लोमा में दाखिला लेने से पहले आवेदक के पास दिनांक 01.02.2004 से पूर्व का मध्यप्रदेश राज्य की किसी भी मान्यता प्राप्त शायकिय अथवा अशासकिय शाखा से पूर्ण कालिक शिक्षा के पद पर लगातार कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिये था। वर्ष 2003-2004 में तृतीय वर्ष का छाजुराम मैमोरियल कालेज हिसार में नियमित छात्र रहा है उपरोक्त के इलावा पडताल के दौरान भी प्रतिवादी ने खुद अपने बयान में बताया कि उसने मध्यप्रदेश में किसी भी संस्थान में अध्यापन कार्य नहीं किया है और मध्यप्रदेश के किसी सरकारी या गैरसरकारी संस्थान में कभी अध्यापन कार्य नहीं किया है। प्रतिवादी ने यह भी बताया कि उसने जब डी0एड0 का फार्म भरा था उस समय फार्म के साथ कोई अध्यापन अनुभव बारे कोई प्रमाण पत्र नहीं लगाया था। पडताल पर पाया गया है कि सुरेन्द्र कुमार जे0बी0टी0 अध्यापक का डी0एड0 का डिप्लोमा राजपाल पुत्र श्री रामदत्त की मार्फत किया जाना पाया गया है क्योंकि प्रतिवादी का डी0एड0 का डिप्लोमा की मार्क शिट राजपाल पुत्र श्री रामदत्त निवासी गांव बुद्वैली तहसील सिवानी जिला भिवानी द्वारा प्राप्त की जानी पाई गई है। जांच में पाया गया है कि उपरोक्त सुरेन्द्र कुमार द्वारा जे0बी0टी0 अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिये अपगतां प्रमाण पत्र व D.Ed का प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से तथा जाल साजी से प्राप्त किये जाने पाये गये हैं। जिसके आधार पर उसने जे0बी0टी0 अध्यापक नौकरी हासिल की है। अतः सुरेन्द्र कुमार जे0बी0टी0 अध्यापक व डाक्टर जोगिन्द्र कपूर हड्डी रोग विशेषज्ञ, डां सुरेश कुमार एम0ओ0 मनोरोग विशेषज्ञ व डा0 आर0के0 बंसल, सी0एम0ओ0 सामान्य हस्पताल हिसार के विरुद्ध धारा 420, 197, 198, 120बी आई0पी0सी0 व 13(1)डी R/W13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का अपराध होना पाया गया है। लिहाजा सुरेन्द्र कुमार जे0बी0टी0 अध्यापक व डाक्टरों के विरुद्ध अभियोग अर्कित किया जाकर मिशल मुकदमा हजा में आमदा जांच क्रमांक 2 दिनांक 16.03.2016 का रिकार्ड कुल 4 फाईल बराये तफतीश निज्द निरीक्षक मुकेश कुमार उप केन्द्र रा.चौ.ब्यूरो भिवानी के पास भेजी जा रही है। नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया ई-मेल इलाका मैजिस्ट्रेट साहब व पुलिस अधीक्षक हिसार भेजी जा रही है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को बजरिया डाक भेजी जायेगी। SD अर्गेंजी सुभाष चन्द्र निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) हिसार मण्डल हिसार दिनांक 04.02.19 अज थाना:- लेख हजा पर मुकदमा व जुर्म दर्ज रजिस्टर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय जांच हवाले निरीक्षक मुकेश कुमार उप केन्द्र रा.चौ.ब्यूरो भिवानी की गई नकुलात FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मैजिस्ट्रेट साहब हिसार व पुलिस अधीक्षक हिसार की सेवा में भेजी जा रही है। नकुलात FIR की हार्ड कापी बजरिया डाक भेजी जायेगी

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Mukesh Kumar Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): PINSP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इन्कार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SUBHASH CHANDER

Rank (पद): INSPECTOR

No. (सं.): H/14

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1983				Is Proxitted: Yes
2	Male	1963				Is Proxitted: Yes
3	Male	1964				Is Proxitted: Yes
4	Male	1946				Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)